

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 54 / 2022-23

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक- 1368, दिनांक- 22.11.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक कामता प्रसाद महतो, पिता- स्व० जयनाथ महतो, साकिम- जगदीश, पो०- प्रधानखंता, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- जगदीश, मौजा नं०- 19, पुराना खाता नं०- 48, पुराना प्लॉट नं०- 1545, नया खाता नं०- 130, नया प्लॉट सं०- 1913, रकबा- 5.25 डिसमील भूमि क्रेता 1. राजेन्द्र प्रसाद महतो, 2. राजेश महतो, दोनो पिता- स्व० जीतु महतो, साकिम- जगदीश, पो०- प्रधानखंता, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनो एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 12 एकड़ 84.75 डिसमील भूमि शेष बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।